National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 1; January 2017; Page No. 42-45

बैगा जनजाति में राजनीतिक चेतना : बदलते परिदृष्य में एक अध्ययन

डॉ० सुनीता बघेल
एम0 पी0 सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांष

सर्वाधिक जनजातीय सदस्य पंचायत चुनावों में नियमित मतदान करते हैं। जनजातीय एवं गैर-जनजातीय सदस्य में मतदान करने की प्रवृत्ति को लेकर ज्यादा अन्तर नही है। सर्वाधिक जनजातीय सदस्यों ने वर्तमान लोकसभा चुनाव में विकास, भ्रष्टाचार एवं स्वास्थ्य-शिक्षा को महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनाया। महत्वपूर्ण मुद्दों और समस्याओं को निपटाने में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक शक्तिशाली एवं उत्तम बताया है। इस प्रकार जनजातीय सदस्यों में मुद्दों एवं दलीय राजनीतिक के प्रति झुकाव की स्थिति ठीक है।

मूल शब्दः बैगा जनजाति, ग्राम सभा, ७३वें संवैधानिक संशोधन, राजनीतिक चेतना।

प्रस्तावना

व्यक्ति राजनीतिक वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर कितना और किस प्रकार का ज्ञान रखता है तथा यह ज्ञान किस मात्रा में सही या गलत है। यह व्यक्ति की राजनीतिक जागरूकता को स्पष्ट करता है। राजनीति का ज्ञान और राजनीतिक समाजीकरण का स्तर, राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक व्यवस्थाओं की आधारभूत विशेषतओं के प्रति व्यक्ति की बोधगम्यता शासन व्यवस्था में उसकी रुचि को प्रभावित करती है।

इस लोकसभा चुनाव में वोट किसे देना हैं इसके निर्णय के आधार के संदर्भ में देखें तो अधिकतर जनजातीय सदस्यों ने पार्टी को आधार मानकर चुनाव में वोट दिया है। लगभग एक तिहाई जनजातीय सदस्यों ने बताया कि जाति-बिरादरी के लोगों ने उस पार्टी का समर्थन किया एवं इस पार्टी से लाभ हुआ या लाभ की उम्मीद रखते हैं इसलिये उसे वोट दिया। वहीं लगभग एक तिहाई गैर-जनजातीय सदस्यों ने बताया कि पार्टी का नेतृत्व एवं पार्टी के कार्यक्रम को देखकर वोट देते हैं। इस प्रकार जनजातीय सदस्य और गैर-जनजातीय सदस्यों में पार्टी को लेकर अलग-अलग विचारधारा है। उम्मीदवार के पक्ष में सबसे जरूरी बात पूछने पर एक चौथाई जनजातीय सदस्यों ने बताया कि इस उम्मीदवार से लाभ हुआ या लाभ की उम्मीद रखते हैं, एवं गाँव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया जबकि वहीं एक चौथाई गैर-जनजातीय सदस्यों ने बताया कि उम्मीदवार तक पहुँचना आसान हैं, उम्मीदवार के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं एवं उनकी जाति-बिरादरी के लोगों ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया है। इस प्रकार जनजातीय सदस्य एवं गैर-जनजातीय सदस्यों की उम्मीदवार को लेकर अलग-अलग विचारधारा है।

अध्ययन हेतु समग्र के रूप में मध्यप्रदेश राज्य के बालाघाट जिले का चयन किया गया है। बालाघाट जिला जनजातीय बाहुल्य जिला है जिसमें तीन विकासखण्ड बैहर, बिरसा, एवं परसवाडा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। अध्ययन हेतु सर्वाधिक जनजातीय बाहुल्य दो विकासखण्ड, बैहर तथा बिरसा को चयनित किया गया है। यहाँ जनजातीय विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अनेक कार्य सरकारी एवं गैर-सरकारी तौर पर किया जा रहा हैं जिससे जनजातीय समाज में आये परिवर्तनों का अध्ययन, की महती आवश्यकता है। इन चयनित दो विकासखण्डों से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले पांच-पांच ग्राम चयनित किये गये। इस प्रकार दो विकासखण्डों में से कुल १० ग्राम को अध्ययन हेतु चुना गया। प्रत्यके ग्राम से १८ जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं ६ गैर-जनजातीय ग्राम सभा सदस्यों को यादृच्छिक आधार पर चयनित किया गया। इस प्रकार १० ग्रामों से १८० जनजातीय ग्राम सभा सदस्य एवं ६० गैर-जनजातीय ग्रामसभा सदस्यों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। अतः निदर्षन का कुल आकार २४० है।

अध्ययन में विषय से सम्बंधित द्वितीयक तथ्यों से भी संकलन किया किया गया। इस हेतु विषय से सम्बंधित पूर्व शोध अध्ययन, शोध आलेख, पुस्तकें, जर्नल्स, समाचार-पत्र, अध्यादेश, अधिनियम, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रकाशित/अप्रकाशित अभिलेखों, रिपोर्टों, विवरणिकाओं आदि से तथ्य संग्रहीत किए गये।

अध्ययन क्षेत्र बालाघाट जिला मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है। बालाघाट जिला २१°६ से २२°२४ उत्तरी अक्षांश तथा ७६°३१ से ८१°०३ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। बालाघाट जिले की सीमा दो राज्यों को छूती है। दक्षिण में यह महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया, भंडारा एवं नागपुर जिले से मिलती है जबकि पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा) जिले से मिलती है। पश्चिम में सिवनी जिला तथा उत्तर में मंडला जिला इसकी सीमाओं को छूता है। बालाघाट जिले का कुल क्षेत्रफल ६२२६ वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में बालाघाट जिला ८ तहसीलों, १० विकासखण्डों एवं ६२६ ग्राम पंचायतों में विभाजित है।

२०११ की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या १७,०१,६९८ है। जिसमें जनजातियों की जनसंख्या ३,८३,०२६ है जो कुल जनसंख्या का २२.५ प्रतिशत है। बालाघाट जिले की साक्षरता ७७.१ प्रतिशत है जिसमें पुरूष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः ८५.४ व ६९.० है। जबकि जिले में जनजातियों की साक्षरता ६७ प्रतिशत है। जिसमें पुरूष ३७ प्रतिशत एवं महिला ३१ प्रतिशत है।

वोट देने का आधार

लोकसभा चुनाव में वोट किसे देना है? इसके निर्णय के आधार के सन्दर्भ में की जानकारी उत्तरदाताओं से प्राप्त की गयी। प्राप्त तथ्यो को सारणी क्रमांक ०१ में प्रदर्षित किया गया है।

सारणी क्रमांक ०१: वोट देने का आधार

क्र. सं.	चुनाव में वोट किसे देना है, का निर्णय लेने का आधार	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
१	पार्टी	७७ (४२.८)	२९ (४८.३)
२	उम्मीदवार	२७ (१५.०)	६ (१०.०)
३	कह नहीं सकते	४२ (२३.३)	१५ (२५.०)
४	वोट नहीं दिया	३४ (१८.९)	१० (१६.७)
	कुल	१८० (१००)	६० (१००)

सारणी क्रमांक ०१ से स्पष्ट है कि ४२.८ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं ने पार्टी को आधार मानकर चुनाव में वोट देने का निर्णय लिया, १५.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उम्मीदवार को आधर माना, २३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई स्पष्ट निर्णय नही लिया, १८.९ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुनाव में वोट नहीं दिया। जबकि ४८.३ प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं ने पार्टी को आधार मानकर चुनाव में वोट देने का निर्णय लिया, १०.० प्रतिषत उत्तरदाताओं ने उम्मीदवार को आधर माना जबकि २५.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई स्पष्ट निर्णय नही लिया, १६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुनाव में वोट नहीं दिया। स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जनजातीय उत्तरदाता, एवं गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं ने पार्टी को आधार मानकर चुनाव में वोट दिया हैं। इस प्रकार जनजातीय एवं गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं में चुनाव का आधार राजनीतिक पार्टी है।

पार्टी के पक्ष में सबसे जरूरी बात

इस लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में सबसे जरूरी बात क्या थी? इस संदर्भ में जानकारी उत्तरदाताओं से ली गयी। प्राप्त तथ्यों को सारणी क्रमाक ०२ में प्रदर्षित किया गया है।

सारणी क्रमांक ०२: पार्टी के पक्ष में सबसे जरूरी बात

क्र सं.	पार्टी के पक्ष में सबसे जरूरी बात	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
१	जाति-बिरादरी के लोगों ने उस पार्टी का समर्थन किया	५५ (३०.६)	२० (२०.०)
२	गॉव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस पार्टी का समर्थन किया	४३ (२३.९)	८ (१३.३)
३	परिवार के लोग पहले से ही उस पार्टी को समर्थन देते आये हैं	१७ (९.४)	३ (५.०)
४	इस पार्टी से फायदा हुआ हैं या फायदे की उम्मीद रखते हैं	४६ (२५.६)	५ (८.३)
५	पार्टी का नेतृत्व अच्छा है	७ (३.९)	१८ (३०.०)
६	कुल मिलाकर पार्टी का कार्यक्रम अच्छा है	१२ (६.७)	१४ (२३.३)
	कुल	१८० (१००)	६० (१००)

सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि ३०.६ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं के जाति-बिरादरी के लोगों ने उस पार्टी का समर्थन किया है, २३.९ प्रतिशत उत्तरदाताओं के गॉव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस पार्टी का समर्थन किया है, ९.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि परिवार के लोग पहले से ही उस पार्टी को समर्थन देते आये हैं। २५.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि इस पार्टी से फायदा हुआ है या फायदे की उम्मीद रखते हैं, ३.९ प्रतिशत उत्तरदाता ने पार्टी का नेतृत्व अच्छा बताया है, ६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुल मिलाकर पार्टी का कार्यक्रम अच्छा है, बताया जबकि २०.० प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं के जाति-बिरादरी के लोगों ने उस पार्टी का समर्थन किया है। १३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं के गाँव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस पार्टी का समर्थन किया है, ५.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि परिवार के लोग पहले से ही उस पार्टी को समर्थन देते आये हैं। ८.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि इस पार्टी से फायदा हुआ है या फायदे की उम्मीद रखते हैं, ३०.० प्रतिशत उत्तरदाता ने पार्टी का नेतृत्व अच्छा बताया है, २३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कुल मिलाकर पार्टी का कार्यक्रम अच्छा है, बताया। स्पष्ट है कि लगभग एक तिहाई जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि जाति-बिरादरी के लोगों ने उस पार्टी का समर्थन किया एवं इस पार्टी से लाभ हुआ या लाभ की उम्मीद रखते है जबकि वहीं लगभग एक तिहाई गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि पार्टी का नेतृत्व अच्छा है एवं कुल मिलाकर पार्टी का कार्यक्रम अच्छा बताया। इस प्रकार जनजातीय उत्तरदाताओं और गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं की पार्टी को लेकर अलग-अलग विचारधारा है।

उम्मीदवार के पक्ष में सबसे प्रभावी बात

लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के पक्ष में सबसे प्रभावी बात क्या थी। इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से जानकारी ली गयी। जिसे सारणी क्रमांक ०३ में प्रदर्शित किया गया हैं।

सारणी क्रमांक ०३: उम्मीदवार के पक्ष में सबसे प्रभावी बात

क्र. सं.	उम्मीदवार के पक्ष में सबसे प्रभावी बात	जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)	गैर जनजातीय आवृत्ति (प्रतिशत)
१	जाति -बिरादरी के लोगों ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया	४२ (२३.३)	१४ (२३.३)
२	गॉव/मोहल्ले के मेरे गुट/खेमे ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया	४५ (२५.०)	८ (१३.३)
३	परिवार के लोग पहले से ही उस उम्मीदवार को समर्थन देते आये है	१७ (९.४)	३ (५.०)
४	इस उम्मीदवार से फायदा हुआ हैं या हम फायदे की उम्मीद रखते है	५१ (२८.३)	६ (१०.०)
५	उम्मीदवार के व्यक्तित्व से प्रभावित	१९ (१०.६)	१३ (२१.७)
६	उम्मीदवार तक पहुँचना आसान	६ (३.३)	१६ (२६.७)
	कुल	१८० (१००)	६० (१००)

सारणी ०३ से स्पष्ट होता है कि २३.३ प्रतिशत जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि उनकी जाति-बिरादरी के लोगों ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया। जबकि २५.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि गाँव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया, ६.४ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि परिवार के लोग पहले से ही उस उम्मीदवार को समर्थन देते आये हैं तथा २८.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि इस उम्मीदवार से फायदा हुआ है या हम फायदे की उम्मीद रखते हैं, १०.६ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उम्मीदवार के व्यक्तित्व से प्रभावित है, ३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उम्मीदवार तक पहुँचना आसान है जबकि २३.३ प्रतिशत गैर-जनजातीय उत्तरदाताओ ने बताया कि उनकी जाति-बिरादरी के लोगों ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया । जबकि १३.३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि गाँव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया, ५.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि परिवार के लोग पहले से ही उस उम्मीदवार को समर्थन देते आये हैं तथा १०.० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि इस उम्मीदवार से फायदा हुआ है या हम फायदे की उम्मीद रखते हैं, २१.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उम्मीदवार के व्यक्तित्व से प्रभावित है, २६.७ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उम्मीदवार तक पहुँचना आसान है। स्पष्ट है कि एक चौथाई जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि इस उम्मीदवार से लाभ हुआ या लाभ की उम्मीद रखते है, एवं गाँव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया जबकि वहीं एक चौथाई गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि उम्मीदवार तक पहुँचना आसान हैं, उम्मीदवार के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं एवं उनकी जाति-बिरादरी के लोगों ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया हैं। इस प्रकार जनजातीय उत्तरदाता एवं गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं की उम्मीदवार को लेकर अलग-अलग विचारधारा हैं।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि बहुसंख्यक जनजातीय उत्तरदाता, एवं गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं ने पार्टी को आधार मानकर चुनाव में वोट दिया हैं। इस प्रकार जनजातीय एवं गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं में चुनाव का आधार राजनीतिक पार्टी है। लगभग एक तिहाई जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि जाति-बिरादरी के लोगों ने उस पार्टी का समर्थन किया एवं इस पार्टी से लाभ हुआ या लाभ की उम्मीद रखते है जबकि वहीं लगभग एक तिहाई गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि पार्टी का नेतृत्व अच्छा है एवं कुल मिलाकर पार्टी का कार्यक्रम अच्छा बताया। इस प्रकार जनजातीय उत्तरदाताओं और गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं की पार्टी को लेकर अलग-अलग विचारधारा है। एक चौथाई जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि इस उम्मीदवार से लाभ हुआ या लाभ की उम्मीद रखते है, एवं गाँव/मोहल्ले के गुट/खेमे ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया जबकि वहीं एक चौथाई गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं ने बताया कि उम्मीदवार तक पहुँचना आसान हैं, उम्मीदवार के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं एवं उनकी जाति-बिरादरी के लोगों ने उस उम्मीदवार का समर्थन किया हैं। इस प्रकार जनजातीय उत्तरदाता एवं गैर-जनजातीय उत्तरदाताओं की उम्मीदवार को लेकर अलग-अलग विचारधारा हैं।

सुझाव

जनजातीय समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु अध्ययन के आधार पर कुछ सुझाव इस प्रकार हैं-

- जनजातीय समाज को शिक्षित बनाते हुए, उन्हे योजना के कार्यक्रमों एवं प्रावधानों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। इस हेतु जनजातीय ग्रामों में जन-शिक्षण के कार्यक्रम, जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा अन्य प्रचार के माध्यमों द्वारा योजना का व्यापक प्रचार किया जाए।
- विकास योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक रोजगारपरक कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाए। इस सन्दर्भ में साप्ताहिक/दैनिक बाजारों, हाटों, सड़क के किनारे, चौराहे तथा ग्राम सम्पर्क मार्ग द्वारा मुख्य मार्ग को जोड़ा जाए एवं उन्हे कोई व्यवसाय प्रारम्भ करने में सहायता की जाए इससे जनजातीय समाज के आर्थिक जीवन में सुधार भी होगा तथा उनके जीवन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी।
- जनजातीय क्षेत्रो में पंचायत प्रतिनिधियों को शासन द्वारा ग्राम पंचायत और ग्रामसभा की शक्तियों एवं अधिकारों से जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण षिविर लगाए जाए।
- जनजातीय ग्राम में ऐसा अभिकरण (कार्यालय) स्थापित किया जाए जिससे ग्राम वासियों को रोजमर्रा की सूचनाएँ प्राप्त हो एवं समस्याओं का निदान किया जा सके और उन्हें सूचना के अधिकारों के प्रति जाग्रत किया जाए।
- जनजातीय क्षेत्रों में टेलीविजन पर अधिक से अधिक समाचार चैनलों का प्रसारण किया जाए जिससे जनजातीय समुदाय में राजनीतिक सजगता को बढ़ावा मिले।
- गैर-सरकारी संगठनों को कार्यो के चयन तथा क्रियान्वयन में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाते हुए अधिकांश लोगों की सहमति से कार्य करना चाहिए ताकि जनजातीय समुदाय की भागीदारी बढ़ सके।
- शिक्षण संस्थायें राजनीतिक समाजीकरण में सही भूमिका निभा सके इसलिए उच्चतर शिक्षा संस्थाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की पहुँच उन तक हो जिससे राजनीतिक समाजीकरण के आधारभूत अभिकरणों के रूप में सही भूमिका निभा सके।
- जन-संचार के माध्यम अत्यधिक सीधे रास्ते से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए की संचार माध्यमों पर सरकारी नियंत्रण रखकर इनकी सहायता से राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियाँ को प्रोत्साहित किया जाए।

संक्षेप में जनजातीय समाज में राजीनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, संचार के साधन, रानीतिक दल, गैर-सरकारी संगठन, सरकार की अन्य योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा हैं। तथापि जनजातीय क्षेत्रों में इन साधनों का प्रभाव व जन-सहभागिता में कमी एक नकारात्मक तत्व के रूप में विद्यामान रहा है। अतः यह आवश्यक है कि तृणमूल स्तर पर जनजातीय समुदाय को उचित अवसर प्राप्त हो तभी इस समाज में राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो सकती हैं।

संदर्भ

1. भट्ट, आशीष (२००२)ः लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं उभरता जनजातीय नेतृत्व, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. १७८-१८६।
2. बसु, दर्गा दास (२०१३)ः भारत का संविधानः एक परिचय, लेक्सिस नेक्स्सि, गुडगॉव हरियाणा पृ. १०८-११५।
3. द्विवेदी, राधेश्याम (२००७)ः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, सुविधा लॉ हाउस प्रा. लि. भोपाल।
4. गुप्ता, मंजू (२००३)ः जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली पृ. १-४।
5. खेत्रपाल, बी सी (२०१०)ः मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम १९९३, खेत्रपाल पब्लिकेशन्स, इन्दौर।
6. मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातीयॉ (संशोधन २०००), मध्यप्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
7. मैकलेण्ड, जे एम (१९६७)ः मासा मीडिया एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पेपर प्रेसेन्टेड एट द एसोसिएशन फॉर एज्यूकेशन इन जर्नलिज्म, बोल्डर पृ. ७८-८०।
8. मेहता, प्रकाश चन्द्र (१९९४)ः वालेन्टरी आर्गेनाइजेषन एण्ड ट्राइबल डेवलपमेंट, शिवा पब्लिकेशर्स उदयपुर, पृ. ५४-५५।
9. मिश्रा, राजीव (२००८)ः वालेन्टरी सेक्टर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. ५०-६०।
10. पालीवाल, एस एल (२०००)ः जनजाति विकास के पंचशील सिद्धात, ट्राइब वर्ष ३५ अंक ३-५ पृ. १-६।
11. पालोत, आर सी (१९८७)ः राजस्थान की वनविहारी जनजातियॉ, नीलकमल ब्रदर्स, डूंगरपुर पृ. १।

12. प्राथमिक जनगणना सार २०११ खण्ड़ २ जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश।
13. रामप्यारे, (१९९१)ः हरिजन युवकों राजनीतिक समाजीकरण, मितल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ. ८५-८६।
14. सिंह, बी पी (२००४)ः म.प्र. की गोंड़ जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता ४१, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. ६-१४।
15. सिंह, बी पी (२००४)ः म.प्र. की गोंड जनजाति का सांस्कृतिक परिदृश्य, बुलेटिन सयुक्ता ४१, आदिम जाति शोध संस्थान, भोपाल पृ. ६-१६।
16. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह एव भट्ट्ट, आषीष (२०११)ः मध्यप्रदेश में पंचायत राज व्यवस्थाः विविध आयाम, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. ३४।
17. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (२००१)ः मध्यप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. १००-११२।
18. त्रिपाठी, गोपाल (१९७३)ः भारत की जनजातियों का एकीकरण, वन्यजाति पृ. ८-१३।
19. तिवारी, शिवकुमार (२०००)ः मध्यप्रदेश की जनजातियॉ, हिन्दी ग्रंथ अकादमी ,भोपाल पृ. २००।
20. राकेश, भट्ट (१९९५)ः जनजातीय उद्यमिता का विकास, हिमांशु पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. ८-१३।
21. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (२००२)ः जनजातीय विकास, मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. २-४।
22. उपाध्याय, विजय शंकर एवं गया, पाण्डेय (२००३)ः ट्रायबल डेवलपमेन्ट इन इंडियाः ए क्रिटिकल अप्राजल, क्राउन पब्लिकेशन्स राची पृ. १९३।
23. वैद्य, नरेश कुमार (२००३)ः जनजातीय विकासः मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर पृ. ७-१६।